न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
135/2019	07.06.2019	16.11..2022

//उनवान//

1 सन्तोष कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति गुसाई निवासी गुसाईयों की ढाणी तन जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थितिः– श्री सतवीर चौधरी – वकील वादी

निर्णय

दिनांक– 16.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 830/0.19, 829/0.06 है0 का 1/3 भाग दर 1 बैल वाके ग्राम जागीवाडी तह0 मुण्डावर में स्थित होकर ख0नं0 830 साबिक ख0नं0 515 मिन रकबा 15 बिस्वा से व ख0नं0 829 साबिक ख0नं0 515 मिन रकबा 05 बिस्वा से पैमूद हुये है जो विवादित आराजी कहलायेगी तथा 894 रकबा 0.61 है0 साबिक ख0नं0 506 से पैमूद हुआ है तथा उक्त ख0नं0 894 में मिनवादी के पिता का नाम पोहमल पुत्र मामराज दर्ज है लेकिन साबिक ख0नं0 506 में मिनवादी के पूर्वज के नाम का अंकन नहीं है तथा उक्त ख0नं0 894 में से मिनवादी का कोई लेना–देना नहीं है इसलिए उक्त ख0नं0 984 में मिनवादी के पिता के नाम का अंकन को हजफ कर दिया जावे। विवादित आराजी मिनवादी की पैत्रिक दादालाई की आराजी रही है जो दादा मामराज पुत्र चुन्ना के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिनकी फौतगी पर मिन वादी के पिता रामप्रसाद पुत्र मामराज को जरिये सम्तव् 1994 को विरासत इन्तकाल सं0 160 दिनांक 02. 06.1938 को प्राप्त हुई है तथा मिनवादी के पिता रामप्रसाद के पिता मामराज के नाम का अंकन सम्वत् 1994 में विरासत इन्तकाल में रामप्रसा[illegible] 2018 की जमाबंदी पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ मिनवादी [illegible]प्रसाद पुत्र मामराज के स्थान पर पोहमल पुत्र मामराज दर्ज क[illegible] दस्तावेजात में भी मिनवादी की वल्दियत में रामप्रसाद ही दर्ज है तथा [illegible] नाम अन्य दर्ज आराजी खसरा नम्बरान 482, 483, 489, 490, 507, 508, 509, 510, 511, 831, 832, 833 वाके ग्राम जागीवाड़ा में स्थित आराजी में भी पिता का [illegible] रामप्रसाद पुत्र मामराज ही दर्ज है। उक्त गलत अंकन के कारण मिनवादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पिता की विरासत इन्तकाल भी अपने नाम दर्ज नहीं करा पा रहा है ना ही समुचित तरीके से उपयोग/उपभोग कर पा रहा है आदि–आदि का अंकन करते हुये वादी वादी डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया। मुताबिक जवाब पैरोकार सरकार बिन्दू सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

01 ला0 07 के बाबत वादी स्वयं सिद्ध करे एवं बिन्दु सं0 08, 09, 10, 11 न्यायालय क्षेत्राधिकार, कोर्ट फीस व कानूनन होना अंकित करते हुये पेश किया गया है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबंदी प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 व 3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2039 प्रदर्श–4 ला0 07, नकल जमाबंदी सैटलमेंट सम्वत 2029 प्रदर्श–9 व 10, नकल जमाबंदी सम्वत् 2022 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सम्वत 2018 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2014 मुताबिक सन्1957–58 प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी सम्वत् 2007–10 प्रदर्श–14, नकल विरासत इन्तकाल साबिक जमाबंदी सम्वत् 1994 प्रदर्श–15, सेवा प्रमाणपत्र रामप्रसाद प्रदर्श–15, निर्वाचन पहचान पत्र रामप्रसाद प्रदर्श–17, निर्वाचन पहचान पत्र संतोष कुमार प्रदर्श–18, राशन कार्ड रामप्रसाद प्रदर्श–19, आधार कार्ड संतोष कुमार पुत्र रामप्रसाद प्रदर्श–20, अंकतालिका सैकेण्डरी परीक्षा संतोष कुमार पुत्र रामप्रसाद प्रदर्श–21, मृत्यु प्रमाणपत्र रामप्रसाद पुत्र मामराज प्रदर्श–22, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बल्लूवास प्रदर्श–23 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र संतोष कुमार पीडब्ल्यू–1 व दयानन्द्र पीडब्ल्यू पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी वादपत्र कि जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया हाल आराजी ख0नं0 830/0.19, 829/0.06 है0 का 1/3 भाग दर 1 बैल वाके ग्राम जागीवाडी तह0 मुण्डावर में स्थित होकर ख0नं0 830 साबिक ख0नं0 515 मिन रकबा 15 बिस्वा से व ख0नं0 829 साबिक ख0नं0 515 मिन रकबा 05 बिस्वा से पैमूद हुये है विवादित आराजी कहलायेगी तथा 894 रकबा 0.61 है0 साबिक ख0नं0 506 से पैमूद हुआ है तथा उक्त ख0नं0 894 में वादी के पिता का नाम पोहमल पुत्र मामराज दर्ज है लेकिन साबिक ख0नं0 506 में वादी के पूर्वज के नाम का अंकन नहीं है तथा उक्त ख0नं0 894 में से वादी का कोई लेना–देना नहीं है इसलिए उक्त ख0नं0 984 में वादी के पिता के नाम का अंकन को हजफ कर दिया जावे। विवादित आराजी वादी की पैत्रिक दादालाई की आराजी रही है जो दादा मामराज पुत्र चुन्ना के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिनकी फौतगी पर मिन वादी के पिता रामप्रसाद पुत्र मामराज को जरिये सम्तव् 1994 को विरासत इन्तकाल सं0 160 दिनांक 02.06.1938 को प्राप्त हुई है तथा वादी के पिता रामप्रसाद के पिता मामराज के नाम का अंकन सम्वत् 1994 में विरासत इन्तकाल में रामप्रसाद पुत्र मामराज दर्ज है तथा सम्वत् 2018 की जमाबंदी पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ वादी के पिता रामप्रसाद पुत्र मामराज के स्थान पर पोहमल पुत्र मामराज दर्ज कर दिया। वादी के समस्त पहचान के दस्तावेजात में भी वादी की वल्दियत में रामप्रसाद ही दर्ज है तथा वादी के पिता के नाम अन्य दर्ज आराजी खसरा नम्बरान 482, 483, 489, 490, 507, 508, 509, 510, 511, 831, 832, 833 वाके ग्राम जागीवाड़ा में स्थित आराजी में भी पिता का नाम रामप्रसाद पुत्र मामराज ही दर्ज है। [illegible] के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा [illegible] विरासत का इन्तकाल भी अपने नाम दर्ज नहीं करा पा रहा है [illegible] कर पा रहा है। वादी द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] नकल हाल जमाबंदी प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 व 3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2039 प्रदर्श–4 ला0 07, नकल जमाबंदी सैटलमेंट सम्वत् 2029 प्रदर्श–9 व 10, नकल ज[illegible]ी सम्वत् 2022 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सम्वत् 2018 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2014 मुताबिक सन्1957–58 प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी सम्वत् 2007–10 प्रदर्श–14, नकल विरासत इन्तकाल साबिक जमाबंदी सम्वत् 1994 प्रदर्श–15, सेवा प्रमाणपत्र रामप्रसाद प्रदर्श–15, निर्वाचन पहचान पत्र रामप्रसाद प्रदर्श–17, निर्वाचन पहचान पत्र संतोष कुमार प्रदर्श–18, राशन कार्ड रामप्रसाद प्रदर्श–19, आधार कार्ड संतोष कुमार पुत्र रामप्रसाद प्रदर्श–20, अंकतालिका सैकेण्डरी परीक्षा संतोष कुमार पुत्र रामप्रसाद प्रदर्श–21, मृत्यु प्रमाणपत्र

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

रामप्रसाद पुत्र मामराज प्रदर्श–22, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बल्लूवास प्रदर्श–23 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र संतोष कुमार पीडब्ल्यू–1 व दयानन्द्र पीडब्ल्यू पेश किये है। उपरोक्तानुसार दस्तावेजात के माध्यम से वादी ने अपने वादपत्र को पूर्णरूपेण साबित कर दिया है का अभिकथन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी हाल ख0नं0 830, 829 वाके ग्राम जागीवाड़ा तहसील मुण्डावर में वादी के हक हिस्से आराजी के बाबत पिता के गलत नाम पोहमल पुत्र मामराज के नाम के अंकन को को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामप्रसाद पुत्र मामराज के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाने व हाल ख0नं0 894 वाके ग्राम जागीवाड़ा के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता के पोहमल पुत्र मामराज नाम को हजफ किये जाने के का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई व पत्रावली एव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल ख0नं0 829, 830, 894 वाके ग्राम जागीवाड़ा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में आ0ख0नं0 829, 830 वाके ग्राम जागीवाड़ा तहसील मुण्डावर में वादी की हक हिस्से आराजी के बाबत वादी के पिता के नाम पोहमल पुत्र मामराज के हो रहे गलत अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं तथा पोहमल पुत्र मामराज के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र मामराज के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही हाल ख0नं0 894 वाके ग्राम जागीवाड़ा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता के बाबत पोहमल पुत्र मामराज के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक **16.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
135 / 2019	07.06.2019	**16.11..2022**

//उनवान//

1 सन्तोष कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति गुसाई निवासी गुसाईयों की ढाणी तन जागीवाड़ा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– **प्रतिवादी**

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री सतवीर चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.11.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः आराजी हाल ख0नं0 829, 830, 894 वाके ग्राम जागीवाड़ा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में आ0ख0नं0 829, 830 वाके ग्राम जागीवाड़ा तहसील मुण्डावर में वादी की हक हिस्से आराजी के बाबत वादी के पिता के नाम पोहमल पुत्र मामराज के हो रहे गलत अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं तथा पोहमल पुत्र मामराज के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र मामराज के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही हाल ख0नं0 894 वाके ग्राम जागीवाड़ा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता के बाबत पोहमल पुत्र मामराज के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आ[illegible] ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 16.11..2022 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

16-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0